?/20 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली 26.8.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

26/8/20 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० हैं। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते आदेश 2.9.20. को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

2/9/2020 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित हैं। संक्षेप में प्रकरण का विवरण निम्न प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रा० पत्र U/s. 136. L.R. Act. 1956 जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी-1 से ग्राम खैराबाद की भूमि खसरा नम्बर ६७६ कुल रकबा १०११)२ में से १०) बतरफ उत्तर दिशा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.97 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा जरिये इन्तकाल उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया।

दौराने बन्दोबस्त उक्त साबिक आराजी ६७६ के तीन नवीन आराजी नम्बर कायम

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

किता $\frac{६८६}{0.90}$, $\frac{६९०}{0.८५}$, $\frac{६९१}{0.66}$। आराजी नम्बर ६८६ रकबा 0.90 हेक्टर को अप्रार्थी नम्बर 1 के तथा आराजी नम्बर ६९०, ६९१ किता 2 रकबा 1.६२ हेक्टर को प्रार्थी के नाम पर दर्ज किया गया।

प्रार्थी अपनी 10) भूमि उत्तर दिशा में काबिज है, तथा अप्रार्थी नं० 1 अपनी 11)2 अर्थात 0.10 हेक्टर पर दक्षिण दिशा में पूर्ववत ही काबिज है। परन्तु बन्दोबस्त के दरम्यान राजस्व नक्शे में अप्रार्थी क्रम-1 की भूमि को प्रार्थी की भूमि के पूर्व में दर्शा दिया है। जिसे दुरूस्त किया जावे।

प्रा० पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी के लापता होने की सूचना पर तलबी के बाद एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा अपना जवाब एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की. जिसकी प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को दी जाकर, जवाब मय रिपोर्ट शामिल मिसल किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र O.6. R.17. C.P.C. प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया गया, कि प्रार्थी के प्रा० पत्र U/S. 136 L.R. Act 1956 को घोषणा रिलीफ को संशोधित किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

[illegible] होने के बाद वादी द्वारा U/S-33-39, R-T-
Act वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थी / वादी द्वारा साक्ष्य
में निम्न दस्तावेज पेश किये।
शपथ-पत्र वादी प्रदर्श P.W-1, बयनामा रजि०
दि. 14.10.97. द्वारा प्रति० । बहक वादी, नकल
जमाबंदी ग्राम खैरलाबाद 2055-58 खाता नम्बर
643, नकल नामान्तरकरण खैरलाबाद नम्बर
1794 दि. 30.1.98. नकल नक्शा ग्राम
खैरलाबाद १९५४. सम्वत 2090-2099, नकल
नक्शा हाल ग्राम खैरलाबाद (आंशिक). फर्द मिलान
ग्राम खैरलाबाद सन् 2004-2024., जमाबंदी ग्राम
खैरलाबाद सं. 2072-75-खाता नं. 805, 723,

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता
सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा
प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र के तथ्यों को
दोहरा कर कथन किये कि वादी उसके द्वारा
क्रय शुदा भूमि पर ही काबिज है। बन्दोबस्त
द्वारा प्रतिवादी की बकाया भूमि 111/2 अर्थात
0.10 हेक्टर का सीमा दिशा की बजाय
पूर्व दिशा में राजस्व नक्शे में दर्शा दिया।
है। प्रतिवादी के स्वत्व के विपरीत किसी
प्रकार का अनुतोष वांछित नहीं है, मात्र
मौके एवं कब्जे अनुसार नक्शा दुरूस्ती
का अनुतोष प्रदान किया जावे। वादी के
कथनों का समर्थन सरकार द्वारा प्रेषित
मौका रिपोर्ट भी करती है।

उपखण्ड अधिकारी
शुभमंजमण्डी

हुक्म

बाद बहस हमने पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, अप्रार्थी अर्थात प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया।

वादी द्वारा दि० 14.10.97 को प्रतिवादी नं० 1 से ग्राम खैराबाद की भूमि आराजी नं० 676 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि उत्तर दिशा की क्रय की गयी नामान्तर करण नं. 1794 में भी खसरा नं. 676 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि उत्तर दिशा का ही नामान्तरण दर्ज करने का अंकन है।

हल्का फर्द मिलान साबिक आराजी नम्बर 676 के तीन नम्बर 686, 690 व 691 मेजूद किये गये तथा खसरा नं० 686 को प्रतिवादी नं. 1 के नाम तथा 690 व 691 को वादी के नाम पर दर्ज किया गया। हालांकि बन्दोबस्त से पूर्व के नक्शे में वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 के मध्य पृथक-पृथक नम्बर अंदाजी की तरमीम नहीं हो रही है, परन्तु इतना स्पष्ट प्रमाणित है, कि वादी द्वारा प्रतिवादी नं० 1 से उसकी 10 11/2 भूमि साबिक आराजी ६७६ में से 10) भूमि बतरफ उत्तर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट तथा

0.10 हेक्टर भूमि के हाल नम्बर को गलत दिशा में बनाया जाना स्वीकार किया गया है। मौका रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक खेराबाद दिनांक 15.1.19 के साथ संलग्न मौका नजरी नक्शा अनुसार वादी के खसरा नम्बर उत्तर दिशा में है, तथा प्रति० नं. 1 की भूमि मौके पर पूर्ववत् दक्षिण दिशा में है।

अतः प्रकरण में यह स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि प्रतिवादी नं. 1 की 0.10 हेक्टर भूमि को वादी की भूमि के दक्षिण की बजाय पूर्व में दर्शा दिया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है।

गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम खेराबाद की भूमि खसरा नं. 686, 690, 691 को हाल नक्शे में परिवर्तन किया जाकर ख० नं० 686 रकबा 0.12 बिस्वा को अर्थात 0.10 हे० को खसरा नम्बर 690, 691 की पूर्व दिशा से हटाया जाकर खसरा नम्बर 690 के दक्षिण दिशा में नक्शे में दर्शाया जावे। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप खसरा नम्बर 690 व 691 के रकबे में आनुपातिक बदलाव हो सकेगा किन्तु दोनों के कुल रकबे का योग पूर्ववत ही रहेगा। I.L.R. खेराबाद की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा इस निर्णय का भाग होगा।

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका[illegible] हुक्म [illegible] में ज[illegible]
	उक्त नजरी नक्शे अनुसार तरमीम हो। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली भी निर्णित में गणना हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	